निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना।
आदेश

सं0 सं०–4बी/लिपिक–02–37/2025 – 113 (4B) **पटना, दिनांक–** 30/01/2026

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, नालन्दा के ज्ञापांक–1066, दिनांक–21.07.2025 के द्वारा दिनांक–21.07.2025 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति के बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर अधीक्षक, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालंदा का पत्रांक–1714, दिनांक–30.08.2025 एवं पत्रांक–22, दिनांक–06.01.2026 के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आधार पर वर्ग–3 (तृतीय वर्ग) समूह–"ग" (निम्नवर्गीय लिपिक) के पद पर स्वीकृत वेतनमान् 5,200–20,200, ग्रेड पे–1,900/–, लेवल–2 के साथ–साथ सरकार द्वारा समय–समय पर देय अन्य भत्तों क साथ अस्थायी एवं औपबंधिक रूप से निम्नांकित शर्त्तो के साथ अनुशंसित अभ्यर्थी को उनके नाम के सामने अंकित स्वास्थ्य संस्थान में तृतीय वर्ग समूह–"ग" (निम्नवर्गीय लिपिक) के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता हैः–

क्रम सं0	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मी का नाम एवं पता	मृतक सरकारी सेवक का नाम जिनके आश्रित पुत्र को नियुक्त किया गया है	पदनाम एवं वेतनमान	पदस्थापित संस्थान का नाम
1	श्री सौरभ कुमार, पिता–श्री गीता प्रसाद, ग्राम–सदीसोपुर, वार्ड नं0–07, पोस्ट– सदीसोपुर, थाना–बिहटा, जिला–पटना, पिन कोड–800111	स्व0 शारदा कुसुम, भूतपूर्व जी0एन0एम0, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालदा।	समूह–"ग" (वर्ग–3) (निम्नवर्गीय लिपिक) Pay Matrix Level-2 ग्रेड पे–1,900/– वेतनमान–5200–20200	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।

सबंधित कर्मी को निदेशित है कि पत्र प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर नव पदस्थापित सस्थान में योगदान देना सुनिश्चित करें।

(1) यह नियुक्ति आवेदक के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र मे अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी। पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने/चरित्र सत्यापन कराने की जिम्मेवारी अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना की होगी तथा पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन (PVR) से विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षो की होगी।

(3) यह नियुक्ति आवेदक के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर उनके शैक्षणिक एवं अन्य सगत प्रमाण पत्रों को सही मानकर इस शर्त के साथ की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रो के गलत अथवा नियम विरूद्ध पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(4) अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना की यह जवाबदेही होगी कि नवपदस्थापित निम्नवर्गीय लिपिक से उनके शैक्षणिक व अन्य संगत प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करेंगे तथा मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे। साथ ही उनके सभी शैक्षणिक एव अन्य संगत प्रमाण पत्रो का संधारण करेंगे तथा उक्त प्रमाण पत्रो का जॉच एवं सत्यापन कराकर विभाग को तीन माह के अंदर निश्चित रूप से अवगत करायेगें।

(5) बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली–2005 द्वारा प्रतिवादित वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–1964, दिनांक–31.08.2005 एवं 768, दिनांक–03.07.2007 के अनुसार प्राप्त निदेश के आलोक में अभ्यर्थी पर नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे।

(6) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक को पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(7) योगदान के समय नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(8) अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना द्वारा विभाग से नियुक्ति आदेश संपुष्टि कराने के पश्चात् वेतनादि का भुगतान योगदान की तिथि से किया जायेगा।

(9) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक का प्रथम वेतनादि भुगतान उनके शैक्षणिक एव अन्य सगत प्रमाण पत्रों, पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन आदि के अंतिम जाँच प्रतिवेदन के फलाफल के आधार पर किया जायेगा। कोई प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

(10) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–1919, दिनांक–18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषण पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

30/1/26

(डॉ0 रेखा झा)
निदेशक प्रमुख
(रोग नियंत्रण, लोक स्वा0, पारा मेडिकल्स)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना

ज्ञापांक– 4बी/लिपिक–02–37/2025–113(4B)/स्वा0, पटना, दिनांक–30/01/2026

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–श्री सौरभ कुमार, पिता– गीता प्रसाद, ग्राम–सदीसोपुर, वार्ड नं0–07, पोस्ट– सदीसोपुर, थाना– बिहटा, जिला–पटना, पिन कोड–800111 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–अधीक्षक, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालंदा को पत्रांक–1714, दिनांक–30.08.2025 एवं पत्रांक–22 दिनांक–06.01.2026 के क्रम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, नालन्दा को उनके ज्ञापाक–1066, दिनांक–21.07.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/1/26

निदेशक प्रमुख
(रोग नियंत्रण, लोक स्वा0, पारा मेडिकल्स)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना